प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक्स

भारत में जानवरों में एवियन इन्फ्लूएंजा का पहला मामला

संदर्भ

दिसंबर **2024** में महाराष्ट्र के नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में **H5N1 वायरस (एवियन इन्फ्लूएंजा)** के कारण तीन बाघों और एक तेंदुए की मौत हो गई है। **यह भारत में जानवरों में एवियन इन्फ्लूएंजा का पहला मामला है।**

एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में

- **एवियन इन्फ्लूएंजा (AI) या बर्ड फ्लू** एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो घरेलू और जंगली दोनों पक्षियों को प्रभावित करता है।
- **रोगजनक (पैथोजन):** एवियन (पक्षी) इन्फ्लूएंजा (फ्लू) टाइप A वायरस के संक्रमण के कारण होता है।
- **संचरण**: एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस जंगली पक्षियों से सीधे घरेलू मुर्गियों में या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसे, दूषित सामग्री के माध्यम से) फैल सकता है।
- **मनुष्यों में संक्रमण**: सामान्य रूप से मनुष्यों को नहीं करता है। हालाँकि, बर्ड फ़्लू वायरस से थोड़े-बहुत मानव संक्रमित हुए हैं।
  - मानव संक्रमण आमतौर पर संक्रमित पक्षियों या दूषित सतहों के साथ निकट संपर्क का परिणाम होता है।
- **लक्षण**: इससे पक्षियों में हल्की से लेकर गंभीर बीमारी या अचानक मृत्यु हो सकती है।
- वर्तमान में, **उच्च रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा** के लिए कोई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध **टीका** नहीं है।
- **एवियन इन्फ्लूएंजा** का मानव में पहला ज्ञात संचरण **1997 में हांगकांग** में हुआ था।

इन्फ्लूएंजा वायरस के प्रकार

- इन्फ्लूएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं: **A, B, C और D**
- **इन्फ्लूएंजा A और B**: ये महामारीजन्य मौसमी संक्रमणों के लिए जिम्मेदार प्राथमिक प्रकार हैं जो लगभग हर साल होते हैं।
- **इन्फ्लूएंजा C**: यह मुख्य रूप से मनुष्यों में पाया जाता है, लेकिन यह सूअरों, कुत्तों, मवेशियों और ऊँटों को भी संक्रमित कर सकता है
- **इन्फ्लूएंजा D:** यह मुख्यतः मवेशियों में पाया जाता है, लेकिन यह मनुष्यों एवं अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है।

स्रोत:

- [The Hindu - Quarantine animals with bird flu symptoms]

वित्त वर्ष 23 में आय असमानता में कमी

संदर्भ

पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE) द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर से पता चलता है कि भारत में 2022-23 में आय असमानता में कमी आई है। PRICE दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है।

PRICE वर्किंग पेपर के मुख्य निष्कर्ष

- **महामारी के बाद की रिकवरी**:
    - भारत में आय असमानता 2022-23 में कम हुई, जो कोविड-19 महामारी के बाद प्रभावी रिकवरी उपायों का संकेत है।
    - इस सुधार के बावजूद, शीर्ष आय अर्जित करने वालों के बीच संपत्ति का महत्वपूर्ण संकेन्द्रण बना हुआ है।
- **आय शेयर वितरण (2022-23)**
    - **निम्नतम 50%:** हिस्सेदारी बढ़कर **22.82%** हो गई (2020-21 में **15.84%** से)। इसमें मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यवसाय के मालिक और किसान जैसे समूह शामिल हैं।
    - **मध्य 40%**: 2022-23 में हिस्सेदारी बढ़कर 46.6% हो गई (2020-21 में 43.9% से)।
    - **शीर्ष 10%:** 2022-23 में हिस्सेदारी घटकर 30.6% हो गई (2020-21 में 38.6% के उच्चतम स्तर से)।
    - **शीर्ष 1%**: 2022-23 में आय का हिस्सा थोड़ा घटकर **7.3%** हो गया (2020-21 में 9.0% से)।

गिनी सूचकांक

- यह आय असमानता के लिए एक महत्वपूर्ण माप है। यह पूर्ण समानता से आय वितरण के विचलन को मापता है।
    - **0 का सूचकांक**: पूर्ण समानता
    - **100 का सूचकांक**: पूर्ण असमानता
- **गिनी गुणांक**: यह एक सांख्यिकीय माप है कि किसी जनसंख्या में आय का कितना असमान वितरण है।
    - गिनी गुणांक **0** और **1** के बीच का मान है**, जहाँ** 0 **का अर्थ है कि कोई आय असमानता नहीं है और** 1 **का अर्थ है कि आय वितरण पूरी तरह से असमान है।**
    - **गिनी सूचकांक गिनी गुणांक को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होता है**, जो गुणांक को प्रतिशत में परिवर्तित करता है।
- उच्च गिनी गुणांक का अर्थ है कि अमीर लोग गरीबों की तुलना में सरकारी नीतियों से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।
    - **लॉरेन्ज़ वक्र:** यह एक ग्राफ है जो जनसंख्या में आय या धन के वितरण को दर्शाता है।
        - वक्र पूर्ण समानता की रेखा के जितना करीब होगा, वितरण उतना ही अधिक समान होगा।

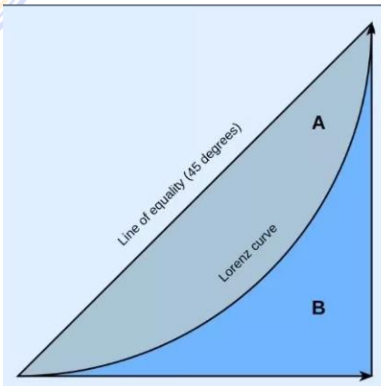

स्रोत:

- [Indian Express - top 10% still holds large share of national income]

अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित हुए - POEM-4 मिशन की उपलब्धियाँ

संदर्भ

इसरो के PSLV-C60 POEM-4 मिशन ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके और भारत की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक भुजा का संचालन करके एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

लोबिया बीज अंकुरण के बारे में

- **CROPS पेलोड:**
    - **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र** (**VSSC**) द्वारा विकसित।
    - बाह्य अंतरिक्ष कृषि अनुसंधान के भाग के रूप में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
    - बीजों को अंकुरित करने और उन्हें दो पत्ती अवस्था **(**two-leaf stage**)** तक बनाए रखने के लिए पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली।
- 8 लोबिया के बीजों को **सक्रिय तापीय विनियमन** वाले बंद बॉक्स वाले वातावरण में रखा गया।
- बीज 4 दिनों के भीतर अंकुरित हो गए; जल्द ही पत्तियाँ आने की उम्मीद है।
- यह अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भविष्य में अलौकिक खेती का मार्ग प्रशस्त करती है।

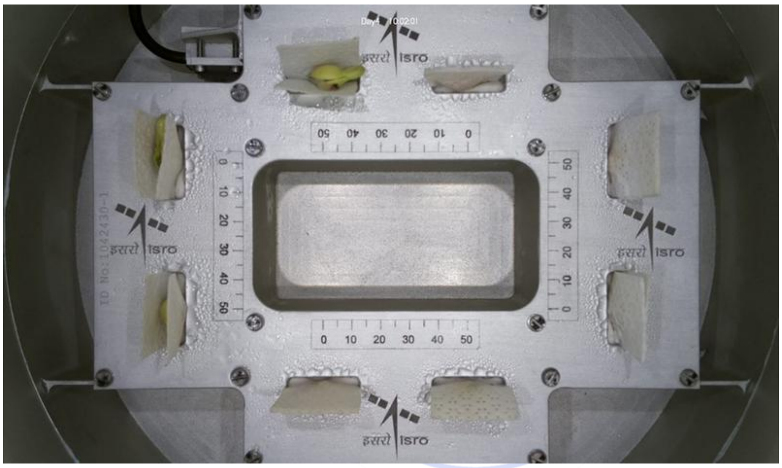

भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म - RRM-TD (रिलोकेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर)

- यह **7 डिग्री ऑफ़ फ्रीडम** (DoF) रोबोटिक आर्म है।
- DoF रोबोटिक आर्म एक अभिनव प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, जो PS4-ऑर्बिटल एक्सपेरीमेंट मॉड्यूल (POEM)-4 प्लेटफ़ॉर्म पर निर्धारित लक्ष्यों पर खुद को स्थानांतरित करने के लिए **इंच-वर्म वॉकिंग** करने की क्षमता रखता है।

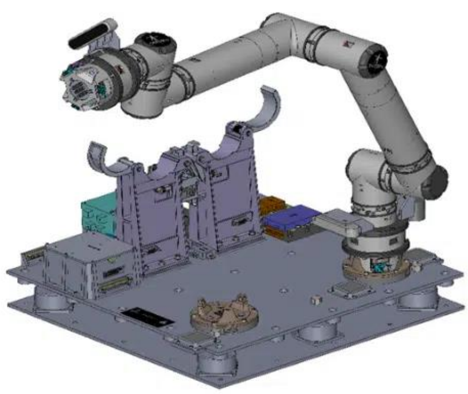

पीएसएलवी ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉड्यूल (POEM)

- POEM एक अंतरिक्ष मंच है जो वैज्ञानिक समुदाय को कक्षा में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- यह ध्रुवीय तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान (PSLV) के खर्च किए गए चौथे चरण का उपयोग कक्षीय मंच के रूप में करता है।
- **अतीत में POEM पर किए गए महत्वपूर्ण प्रयोग**: विद्युत प्रणोदन प्रणाली, उपग्रहों को छोड़ने के लिए उपकरण, और तारों को ट्रैक करने की तकनीक।

स्रोत:

- The Hindu - Cowpea seeds sprout in space

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए प्रस्तावित क्रूज़ टर्मिनल

संदर्भ

ग्रेट निकोबार द्वीप पर मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना का विस्तार कर इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और एक शिपब्रेकिंग यार्ड भी शामिल किया गया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में

- यह **अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे को विकसित करने के लिए 2021** में शुरू की गई एक **मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना** है। इसमें शामिल हैं:
  - **अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा:** नागरिक और रक्षा उपयोग के लिए
  - **ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट**: गैलेथिया खाड़ी के पूर्वी किनारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)।
  - **पावर प्लांट**: 450 MVA गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र।
  - **टाउनशिप विकास**: 150 वर्ग किमी की टाउनशिप।
- **परियोजना में शामिल किये गये अन्य घटक**
  - **अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल**: इसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार को एक "**वैश्विक बंदरगाह-आधारित शहर**" और एक उच्च स्तरीय इको-पर्यटन स्थल में बदलना और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को समायोजित करना है।
  - **जहाज निर्माण और शिपब्रेकिंग यार्ड:** मरम्मत और निर्माण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कैम्पबेल बे में 500 मीटर के समुद्र तट के साथ 100 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित।
  - **निर्यात-आयात बंदरगाह**: गैलेथिया बे टर्मिनल के लिए निर्माण सामग्री के आयात हेतु कैंपबेल बे में स्थित है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (**ANNIIDCO**)।
  - इसकी स्थापना **1988** में **(कंपनी अधिनियम 1956 के तहत)** हुई थी।
  - **उद्देश्य**: अंडमान और निकोबार के संतुलित और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और व्यावसायिक दोहन करना।

ग्रेट निकोबार परियोजना के मुद्दे और प्रभाव

- **विवादास्पद अधिसूचनाएँ**:
- **स्वदेशी समुदायों का विस्थापन**:
  - शोम्पेन जनजाति सहित स्वदेशी समुदायों को वनों की कटाई, बुनियादी ढांचे के विकास और भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ेगा।
  - बस्तियाँ और पारंपरिक चारागाह/शिकार के मैदान नष्ट हो जाएँगे।
- **स्वदेशी अधिकारों की उपेक्षा**:
  - मई 2022 में अंडमान और निकोबार (A&N) प्रशासन ने 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों का प्रस्ताव रखा। परियोजना को मंज़ूरी देने से पहले जनजातियों से कोई परामर्श नहीं किया गया।
    1. **मेरो में प्रवाल भित्तियाँ।**
    2. **मेन्चल में मेगापोड पक्षी।**
    3. **लिटिल निकोबार द्वीप पर लेदरबैक कछुए।**
- **आजीविका और संस्कृति का नुकसान**:
  - स्वदेशी लोग जीविका के लिए जंगलों और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भर करते हैं, जैसे नारियल और सुपारी (betel nuts) की खेती, और मछली पकड़ना।
- **वनों की कटाई और आवास की हानि**:
  - प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों में लगभग 8-10 लाख सदाबहार पेड़ काटे जाएँगे।
  - निकोबार मेगापोड, मगरमच्छ आदि प्रजातियों के लिए वन्यजीव आवास नष्ट हो जाएँगे।
  - **गैलाथिया खाड़ी लेदरबैक कछुओं के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल (nesting site) है,** और इसके विनाश से विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण इस प्रजाति को खतरा है।

- **प्रवाल भित्तियों को नुकसान**: बंदरगाह और निर्माण गतिविधियों के लिए गैलेथिया खाड़ी के साथ व्यापक प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा।

शोम्पेन जनजाति

- शोम्पेन एक अर्ध-खानाबदोश, शिकारी-संग्राहक जनजाति है। उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वे **ग्रेट निकोबार द्वीप** के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में**, गैलेथिया**, **अलेक्जेंड्रिया**, **डागमार और जुबली नदी घाटियों** जैसे क्षेत्रों में रहते हैं।
- वे भारत में सबसे कम अध्ययन किए गए PVTG में से एक हैं क्योंकि वे बहुत शर्मीले होते हैं। उनका निकोबारी लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है।
- उनकी आजीविका के मुख्य स्रोत शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना और कुछ बागवानी गतिविधियाँ हैं।
- शोम्पेन की सटीक जनसंख्या अज्ञात है**,** लेकिन **2011 की जनगणना के अनुसार यह 229 थी।**
- **अंडमान और निकोबार द्वीप पर निवास करने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह**: निकोबारी (27,000)

स्रोत:

- [The Hindu - Empower the guardians of the earth, do not rob them]
- [The Hindu - Cruise terminal proposed for Great Nicobar Island]

समाचारों पर संक्षिप्त चर्चा

मोथवेथ महोत्सव

- मोथवेथ तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में **टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का** महोत्सव है।
- यह महोत्सव **मुथानाडु मुंड (जनजाति का सामुदायिक मुख्यालय) में मूनपो मंदिर** में मनाया जाता है। यह अभी भी जीवंत सबसे पुराने टोडा मंदिरों में से एक है।
- यह महोत्सव टोडा लोगों के लिए अगले वार्षिक चक्र की शुरुआत का प्रतीक है।

टोडा के बारे में

- टोडा तमिलनाडु की **नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाला एक स्वदेशी द्रविड़ जातीय समूह** है।
- वे अपने **बैरल-वॉल्टेड घरों और मंदिरों, लंबी सींग वाले भैंस और विशिष्ट लबादों** के लिए जाने जाते हैं
- वे **बहुदेववाद** (कई देवताओं) को अपनाते हैं। उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता **तेइकिरज़ी और ऑन** हैं।
- टोडा बस्तियों को **मुंड** कहा जाता है, वे लकड़ी के ढांचे पर बने 3 से 7 छोटे छप्पर वाले घरों से बने होते हैं।

स्रोत:

- The Hindu - Tribal Festival

प्रवासी भारतीय दिवस – 9 जनवरी

- पीएम नरेंद्र मोदी **भुवनेश्वर** में प्रवासी भारतीय दिवस के **18वें संस्करण** का उद्घाटन करेंगे।
- यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है।
- 9 जनवरी **1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है।** इस दिन को मनाने के लिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 में शुरू हुई।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA)

- **उद्देश्य: सामाजिक कार्य, मानवीय प्रयासों और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना।**
- इस वर्ष 27 व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा।

भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा) सांख्यिकी

- **कुल जनसंख्या**: **35.4** मिलियन से अधिक**,** जिसमें शामिल हैं:
  - **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs):** 19.5 मिलियन
  - **अनिवासी भारतीय (NRIs):** 15.8 मिलियन
- **प्रमुख देश**:
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 2 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के व्यक्ति
  - **संयुक्त अरब अमीरात:** 3.5 मिलियन से अधिक अनिवासी भारतीय

स्रोत:

- Indian Express - Pravasi Bhartiya Divas event in Bhubaneswar

पंचायत से संसद 2.0 पहल

- इसका आयोजन **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।**
- यह कार्यक्रम **बिरसा मुंडा की** 150**वीं जयंती** के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है।
- **उद्देश्य**: संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन की समझ को बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना।

स्रोत:

- The Hindu - 500 women representatives to get crash course in parliamentary procedures

संपादकीय सारांश

ई-श्रम पोर्टल और वन-स्टॉप सॉल्यूशन (OSS)

संदर्भ

- मई 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoL&E) द्वारा लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है।
- यह पहल COVID-19 महामारी के दौरान इन श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से प्रेरित थी, जिसके कारण राष्ट्रीय श्रमिक डेटाबेस के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था।

ई-श्रम पोर्टल का अवलोकन

- **सबसे बड़ा डेटाबेस:** ई-श्रम पोर्टल को विश्व स्तर पर असंगठित श्रमिकों का सबसे बड़ा डेटाबेस होने का दावा किया जाता है**,** जिसमें **300** मिलियन से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं।
- **उद्देश्य:** पोर्टल के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:
    - असंगठित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों (जैसे- निर्माण श्रमिक**,** गिग श्रमिक**,** स्ट्रीट वेंडर) के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना।
    - सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाना और विभिन्न कल्याण योजनाओं को एकीकृत करना।
    - प्रवासी एवं निर्माण श्रमिकों के लिए लाभ की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करना।

ऐतिहासिक संदर्भ

- ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत से बहुत पहले ही, राष्ट्रीय डेटाबेस की आवश्यकता को पहचान लिया गया था:
- **अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम (1979):** श्रम ठेकेदारों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य कर दी गई तथा उनसे अंतरराज्यीय श्रमिकों के बारे में विवरण देने की अपेक्षा की गई।
- **असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (2007):** प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक पंजीकरण प्रणाली की वकालत की गई।
- **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008):** श्रमिक पंजीकरण और पहचान पत्र के लिए प्रावधान शामिल किए गए।
- इन पिछली सिफ़ारिशों के बावजूद कार्यान्वयन में कमी थी, जिससे कई प्रवासी श्रमिक अदृश्य एवं असुरक्षित हो गए थे।

प्रवासी श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ

- प्रवासी, विशेष रूप से मौसमी और सर्कुलर श्रमिक, निम्नलिखित का सामना करते हैं:
    - उच्च गतिशीलता-संचालित संकट, वंचितता एवं कलंक।
    - सार्वजनिक सेवाओं तक खराब पहुँच, संघीकरण की कमी तथा तस्करी।
    - राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा जैसे आवश्यक लाभों से वंचित होना (उदाहरण के लिए, पंजीकरण के बावजूद 2022 में 80 मिलियन लोग वंचित हैं)।

वन-स्टॉप सॉल्यूशन (OSS) का शुभारंभ

- **उद्देश्य:** ई-श्रम-पंजीकृत श्रमिकों के लिए, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करना।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
    - वन नेशन वन राशन कार्ड (**ONORC**), **MGNREGA**, पीएम श्रम योगी मानधन तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण।
    - पीएम मातृ वंदना योजना और श्रमिक सुरक्षा योजना जैसी अतिरिक्त योजनाओं को जोड़ने की योजना।

○ प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने का लक्ष्य।

- **उपलब्धियाँ:**
  - ○ पंजीकरण अभियान **2022** तक **286** मिलियन श्रमिकों तक पहुँच गया।
  - ○ **सकारात्मक रुझान: 53.59%** पंजीकरणकर्ता महिलाएँ हैं, जो श्रम पंजीकरण में लिंग समावेशन में प्रगति को दर्शाता है।

चिंताएँ एवं सीमाएँ

- **दस्तावेज़ीकरण संबंधी बाधाएँ:** प्रवासियों के पास प्रायः आधार या राशन कार्ड जैसे आवश्यक पहचान प्रमाणों का आभाव होता है।

○ मोबाइल फ़ोन नंबर (अस्थायी या आधार से लिंक नहीं) से संबंधित समस्याएँ, कई लोगों को पंजीकरण से वंचित कर देती हैं।

○ उचित दस्तावेज़ीकरण का अभाव, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहुंच में बाधा बना हुआ है।

- **व्यापक डेटा का अभाव:** प्रवासी श्रमिक सामाजिक-सांस्कृतिक, क्षेत्रीय एवं आर्थिक विविधता के साथ, एक विषम श्रेणी हैं।

○ विस्तृत डेटा पृथक्करण का अभाव, न्यायसंगत नीति संरचना में बाधा उत्पन्न करता है।

- **पोर्टेबिलिटी संबंधी समस्याएं:** अंतर-राज्य प्रवासियों को पोर्टेबल कल्याण अधिकारों की आवश्यकता है, जिस पर **OSS** के तहत कार्य प्रगति पर है।
- **लिंग संवेदनशीलता:** यद्यपि ई-श्रम पंजीकरण में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं, किन्तु फिर भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लिंग-संवेदनशील नीतियों का अभी भी अभाव है।
- **"निःशुल्क संस्कृति" से बचाव:** प्रवासियों को भार नहीं, बल्कि परिसंपत्ति माना जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सब्सिडी के स्थान पर, मानव विकास परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

भविष्य का दृष्टिकोण

- सरकार को मानव विकास परिणामों पर बल देते हुए, प्रवासियों को केवल सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं के स्थान पर परिसंपत्ति के रूप में देखना चाहिए।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoL&E) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, कल्याणकारी अधिकार राज्यों और स्थानों में हस्तांतरणीय हों।
- सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में चेतावनी दी गई है कि, खराब तरीके से प्रबंधित प्रवासन विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- प्रवासी श्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उनके समावेश के लिए बेहतर ढंग से डिज़ाइन की गई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है।

स्रोत: Indian Express: A journey to visibility

रोजगार सृजन के लिए 7 सूत्री एजेंडा

संदर्भ

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, 7 सूत्री एजेंडा प्रस्तावित किया है।

तथ्य

- 29 वर्ष की औसत आयु वाले भारत में 2050 तक अपनी कामकाजी आयु वाली जनसंख्या में, 133 मिलियन व्यक्तियों को शामिल करने का अनुमान है।
- सबसे हालिया वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (UR) 10.2% है।
- कृषि क्षेत्र में, जो कि लगभग 45% श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यह क्षेत्र सकल मूल्य वर्धित (GVA) में केवल 16% योगदान देता है।

CII के प्रमुख सुझाव

- **एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति:** **CII** एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति के निर्माण की वकालत करता है, जो विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्यों में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं को समेकित करती है।
  - इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और रोजगार सृजन पर प्रभाव को अधिकतम करना है।
- **डेटा-संचालित रोजगार अंतर्दृष्टि:** रोजगार की उपलब्धता, कौशल मांग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, एक सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली (**ULIMS**) की स्थापना की सिफारिश की जाती है।
  - यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण, कार्यबल कौशल को बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में सहायता करेगा।
- **श्रम-गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देना:** **CII** निर्माण, कपड़ा और पर्यटन जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बल देता है।
  - यह इन उद्योगों में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का सुझाव देता है।
- **ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना:** घटते रोजगार के अवसरों और स्थिर कृषि के बीच ग्रामीण युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, **CII** ने कॉलेज के स्नातकों के लिए एक ग्रामीण इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है।
  - इस पहल का उद्देश्य स्थानीय विकास परियोजनाओं में शिक्षित युवाओं को शामिल करके, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों को मजबूत करना है।
- **महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाना:** कार्यबल में महिला भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए, **CII** औद्योगिक क्लस्टरों में **CSR**-वित्त पोषित क्रेच स्थापित करने और देखभाल अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की सिफारिश करता है।
  - इन पहलों के साथ-साथ, महिला सुरक्षा कानूनों और सहायक कार्य संस्कृति में वृद्धि से महिलाओं के लिए अधिक समावेशी रोज़गार बाजार बनने की उम्मीद है।
- **नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन:** **CII** ने नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को रोज़गार पर रखने के लिए, बढ़ी हुई कटौती प्रदान करने हेतु कर प्रावधानों की धारा **80JJAA** को परिवर्तित करनें का आह्वान किया है।
  - यह परिवर्तन व्यवसायों को अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- **वैश्विक रोज़गार बाजार का दोहन:** भारतीय युवाओं के लिए विदेशी रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया गया है।
  - अमेरिका में **H1B** वीजा और ऑस्ट्रेलिया के साथ **CECP** जैसे सहयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

स्रोत: Indian Express: CII proposes 7- Point Agenda For Employment Generation

आगामी वर्ष में भारत का परिदृश्य

संदर्भ

विश्व में तीव्र आर्थिक और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के मध्य, भारत आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के कारण विश्व स्तर पर एक अलग स्थान पर अपनी पहचान बना रहा है।

2025 में भारत के लिए चुनौतियाँ

चीन संबंध

- **हालिया घटनाक्रम:**
  - **सीमा वार्ता:** लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (**LAC**) पर स्पष्ट रूप से विघटन।
  - **वार्ता की बहाली:** सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों की चर्चा और पांच वर्ष बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य मुलाकात।
  - इन सबके बावजूद, सीमा संघर्ष अनसुलझा बना हुआ है, जिससे सतर्कता की आवश्यकता है।
- **चीन द्वारा रणनीतिक कदम:**
  - वैश्विक दक्षिण सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया गया:
    - बीजिंग में फिलिस्तीनी सुलह वार्ता की सुविधा प्रदान की गई।
    - आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अफ्रीकी देशों के साथ वैश्विक सुरक्षा पहल (**GSI**) को आगे बढ़ाया गया।
  - पाकिस्तान में **SCO** शिखर सम्मेलन के दौरान, चीन ने भारतीय पीएम की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, भारत की आवाज़ को दबा दिया।
  - पेरू में **APEC** शिखर सम्मेलन के दौरान, जापान के साथ संबंधों को मजबूत किया गया, जिससे आपसी रणनीतिक हितों के लिए समझौते हुए।

दक्षिण और पश्चिम एशिया: एक क्षेत्रीय मंथन

दक्षिण एशिया

- **बांग्लादेश:**
  - शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद, भारत को नए कार्यवाहक शासन से शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है।
  - भारत की पड़ोस नीति की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की गई है।
- **अन्य पड़ोसी:**
  - **नेपाल**, **श्रीलंका:** अच्छे मित्र प्रतीत होते हैं।
  - **मालदीव:** भारत के प्रति रुख अनिश्चित बना हुआ है।
  - **भूटान:** वर्तमान शासन, चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने की दिशा में अधिक झुकाव प्रदर्शित करता है।
  - **पाकिस्तान:** निरंतर अपनी शत्रुतापूर्ण स्थिति बनाए हुए है।

पश्चिम एशिया

- **सीरिया:**
  - **असद शासन की समाप्ति:** क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता की संभावना।
  - **नवीन नेतृत्व:** अहमद हुसैन अल शरा (पूर्व में अबू मोहम्मद अल जुलानी) के नेतृत्व में सुन्नी समूह, हयात ताहिर अल शम्स (**HTS**), एक उदारवादी रुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है।
  - **निहितार्थ:**
    - क्षेत्र में शिया धुरी और ईरान के प्रभाव में गिरावट।
    - हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया के कमजोर होने की संभावना।
    - गाजा नरसंहार के लिए आलोचना के बावजूद, इजरायल मजबूत होकर उभरा।
  - **भारत की स्थिति:**
    - असद को विशेष रूप से अरब स्प्रिंग के दौरान, एक स्थिर शक्ति के रूप में देखा गया था।

- नया सुन्नी नेतृत्व, भारत के कूटनीतिक रुख में अनिश्चितताएं लाता है।

- **ईरान:**
  - प्रभाव में कमी**, 1979** से पश्चिम एशिया में इसकी क्रांतिकारी भूमिका पर प्रभाव।
  - ईरान में संभावित आंतरिक अस्थिरता**,** शिया मिलिशिया एवं व्यापक शिया समुदाय को प्रभावित करना।

2025 में उभरते खतरे

साइबर सुरक्षा

- **बढ़ते डिजिटल खतरे**:
  - प्रौद्योगिकियों के अभिसरण से **राष्ट्रीय बुनियादी** ढांचे को खतरा है।
  - प्रमुख कंपनियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर साइबर हमलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
- **डेटा बिंदु**:
  - **डिनायल ऑफ़ सर्विस और रैंसमवेयर** संबंधी हमले बढ़ रहे हैं।
  - ये रुझान **2025** और उसके बाद तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

भारत अवसरों और चुनौतियों दोनों के साथ एक चौराहे पर खड़ा है। हालाँकि यह वैश्विक अशांति के बीच स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा है, लेकिन उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। डिजिटल खतरों में प्रत्याशित वृद्धि ने इस परिदृश्य को और जटिल बना दिया है, जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता हो गई है।.

स्रोत: **The Hindu: The outlook for India in the year ahead**

विस्तृत कवरेज

धर्मांतरण विरोधी कानून

सन्दर्भ

अरुणाचल प्रदेश सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाकर ठंडे बस्ते से बाहर "जबरन" धर्मांतरण के खिलाफ 1978 का अधिनियम लाने पर काम कर रही है।.

धर्मांतरण विरोधी कानून क्या हैं?

- धर्मांतरण विरोधी कानून विधायी उपाय हैं जिनका उद्देश्य धार्मिक रूपांतरण को रोकना या प्रतिबंधित करना है।
- धर्मांतरण विरोधी कानूनों के विशिष्ट प्रावधान और प्रवर्तन विभिन्न न्यायक्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं, और उनमें आपराधिक और नागरिक दंड दोनों शामिल हो सकते हैं।

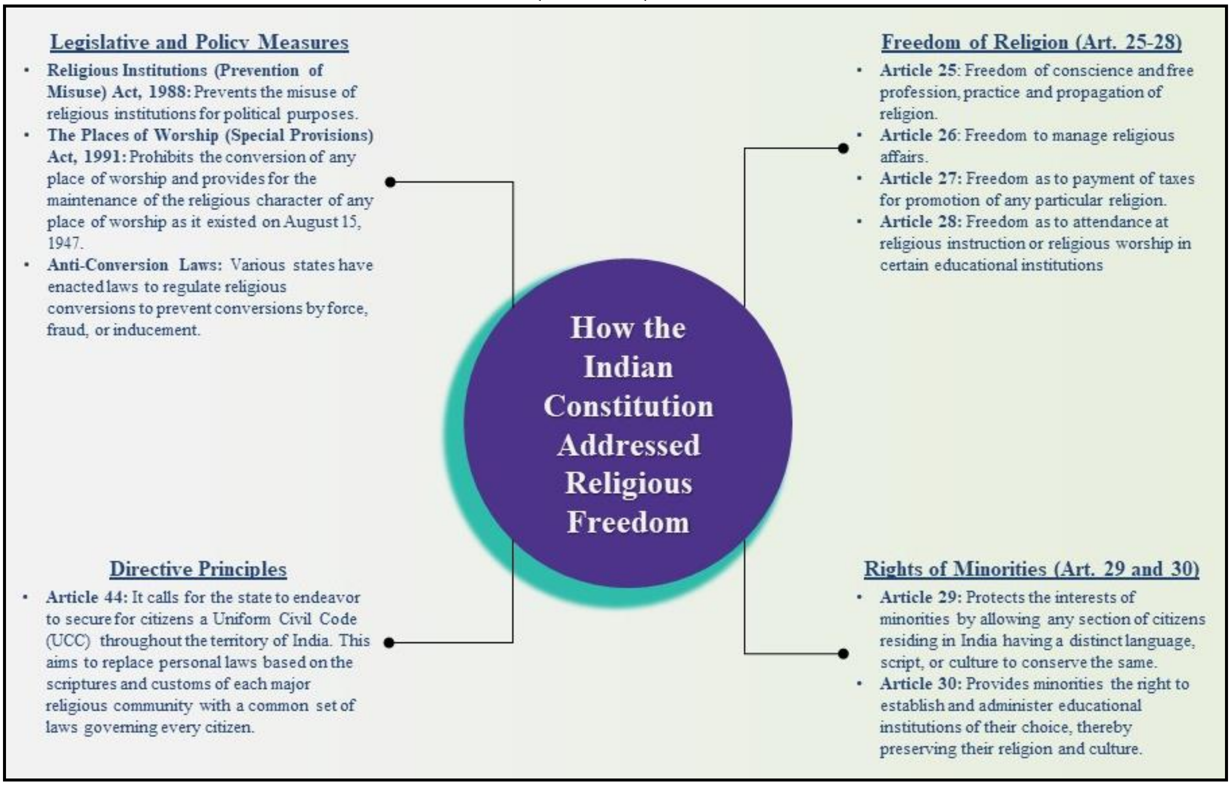

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून

- **स्वतंत्रता-पूर्व युग**: स्वतंत्रता से पहले, कई हिंदू रियासतों जैसे रायगढ़, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, सरगुजा, पटना, उदयपुर और कालाहांडी ने ईसाई धर्म का प्रसार करने वाली मिशनरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए थे।
- **स्वतंत्रता के बाद की अवधि**:
  - **संसदीय विधेयक**: **1954** और **1960** में संसद ने भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक और पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक पर विचार किया।
    - दोनों का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना था लेकिन समर्थन की कमी के कारण इन्हें छोड़ दिया गया।
  - **कोई केंद्रीय कानून नहीं**: वर्तमान में, धार्मिक रूपांतरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया गया है।
  - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), **2023**, अध्याय **XVI** के तहत धर्म से संबंधित अपराधों को संबोधित करता है।

- हालांकि इसमें विशेष रूप से "जबरन धार्मिक रूपांतरण" का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह विभिन्न अपराधों को कवर करता है जो धार्मिक संवेदनाओं और कार्यों से संबंधित हो सकते हैं।.

विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून

- कई राज्यों ने बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए "धर्म की स्वतंत्रता" कानून बनाए हैं।
- **ये कानून वर्तमान में 8 राज्यों में लागू हैं**: ओडिशा (1967), मध्य प्रदेश (1968), अरुणाचल प्रदेश (1978), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), गुजरात (2003), हिमाचल प्रदेश (2006 और 2019), झारखंड (2017), और उत्तराखंड (2018).
- **राज्य कानूनों के उदाहरण**:
  - उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, **1967**।
  - मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, **1968**।
  - छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, **2006**।
  - झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, **2017.**
  - उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, **2020**।
  - कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण अधिनियम, **2022**।
  - हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, **2022**।
  - उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध (संशोधन) विधेयक, **2024**.

धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता

- **सांस्कृतिक और सामाजिक सामंजस्य की सुरक्षा**: धार्मिक रूपांतरणों से उत्पन्न होने वाले समुदायों के भीतर संघर्ष और विभाजन को रोकने के लिए आवश्यक माना जाता है।
- **परंपराओं और विश्वासों का संरक्षण**: धर्मांतरण विरोधी कानून धर्मांतरण के कारण किसी विशेष धर्म के क्षरण को रोककर उसके प्रभाव और शक्ति का संरक्षण करने में मदद करते हैं।
- **ज़बरदस्ती और धोखे की रोकथाम**: व्यक्तियों को किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर या धोखा देने से बचाने के लिए आवश्यक है।
- **कपटपूर्ण विवाहों की चिंता**: ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्तियों को किसी अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, जिससे कपटपूर्ण प्रथाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

धर्मांतरण विरोधी कानून के विरुद्ध तर्क

- **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन**: आलोचकों का तर्क है कि धर्मांतरण विरोधी कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद **25** द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
  - इन कानूनों को किसी व्यक्ति के अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसका पालन करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के रूप में देखा जाता है।
- **अस्पष्टता और दुरुपयोग**: इन कानूनों में प्रयुक्त अस्पष्ट शब्दावली, जैसे "बल", **"**धोखाधड़ी,**"** और "प्रलोभन" की व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है, जिससे संभावित दुरुपयोग हो सकता है।
  - इस अस्पष्टता के परिणामस्वरूप ठोस सबूतों के अभाव में भी, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न और कानूनी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं।
- **सतर्कता को प्रोत्साहन**: धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अस्तित्व ने, कभी-कभी, गैर-राज्य अभिकर्ताओं को गैरकानूनी धर्मांतरण के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी हिंसा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है।
  - इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बन गया है और हिंसा और भेदभाव की घटनाएं हुई हैं।
- **सामाजिक सेवाओं पर प्रभाव**: धार्मिक संगठन अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

- ○ धर्मांतरण विरोधी कानून इन गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक समूहों द्वारा प्रदान की गई किसी भी सहायता को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिससे मानवीय सहायता का वितरण प्रभावित हो सकता है।.
- **संवैधानिक चुनौतियाँ**: धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को लेकर कानूनी चुनौतियाँ रही हैं।
  - ○ उदाहरण के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इन कानूनों के कुछ पहलू धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों के साथ संभावित टकराव का संकेत देता है।
- **दोषसिद्धि का अभाव**: इन कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, बहुत कम गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और उससे भी कम दोषसिद्धियाँ हुई हैं।
  - ○ यह उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है और सुझाव देता है कि उनका उपयोग जबरन धर्मांतरण के वास्तविक मामलों पर मुकदमा चलाने के बजाय उत्पीड़न के उपकरण के रूप में अधिक किया जा सकता है।.

धर्मांतरण पर न्यायिक घोषणाएँ

- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, और इस अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप पसंद की आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन है। ।
- **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ**: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति शादी के उद्देश्य से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण को कानूनी दायित्वों या जिम्मेदारियों से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- **एस पुष्पाबाई बनाम सी.टी. सेल्वराज**: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का अधिकार है, और धार्मिक रूपांतरण के संबंध में कोई भी जबरदस्ती या गलत बयानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
- **रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** (1977): सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है।

स्रोत: Indian Express: Why Arunachal Pradesh is bringing back 1978 Act against ‘forceful’ religious conversion